प्रेस नोटः–

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक–26.03.2019

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग–

जनपदीय पुलिस/ यातायात पुलिस गोण्डा द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न–भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडीयों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर **13 वाहनों से मु0– 25200 रू0 शमन शुल्क वसूल किया गया। शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया।**

पैदल गश्त अभियानः–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने–अपने थाना क्षेत्रों में अलग–अलग टीम बनाकर पैदल गस्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़–भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़–भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके। अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के विरूद्व विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्यवाही करते **290 भा0द0वि0/34 पुलिस अधिनियम में 133 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी।**

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से **कुल– 13 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।**

04 वारण्टी अभियुक्तों के विरूद्ध पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तों के गिरफ्तारी के अभियान में जनपदीय पुलिस द्वारा 04 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 24.03.2019 को जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र की पुलिस द्वारा तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए कुल–05 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से कुल 100 लीटर कच्ची शराब मय उपकरण बरामद की गयी। कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है–

थाना को0 नगर द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. हंसराज पुत्र छेदीलाल निवासी भटपुरवा मौजा बनवरिया थाना को0नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से **20 ली0** अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–248/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना को0 देहात द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. परविन्द कुमार सोनकर पुत्र छेलबिहारी सोनकर निवासी खदरखा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 **ली0** अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–99/19, 02. रामकरन पुत्र रामधीरज निवासी पसियनपुरवा मौजा रामनगर तरहर थाना को0देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 **ली0** अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–100/19 धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना खोड़ारे द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. लालजीत पुत्र रामकुमार निवासी गोसाईगंज थाना खोडारे जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 **ली0** अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–53/19, 02. नब्बूलाल पुत्र झिनकान निवासी बभनजोत थाना खोडारे जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 **ली0** अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–54/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

विवेचनाओं का निस्तारण–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण–दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए **कुल– 16 विवेचनाओं** का निस्तारण किया गया।

बरामदगी–

01. 100 ली0 अवैध कच्ची शराब।

सराहनीय प्रेस नोट मीडिया सेल जनपद गोण्डा दिनांक 26.03.2019

अवैध कट्टे के साथ शातिर अपराधी गिरफ्तार–

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. अंगद पुत्र सुखराम निवासी जैदपुर माझा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 अदद तमंचा 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–77/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 25.03.2019 को उ0नि0 महिमानाथ उपाध्याय मय हमराह फोर्स के साथ गस्त व क्षेत्र भ्रमण करके वापस आ रहे थे कि पर्सदा मोड़ पुलिया के पास संदिग्ध व्यक्ति दिखने पर रोक टोक कर चेक करने पर उसके कब्जे से 01 अदद नाजायज तमंचा 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद कर थाना तरबगंज में अभियुक्त के विरूद्ध आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 महिमानाथ उपाध्याय।
02. का0 विनोद कुमार यादव।
03. का0 शैलेन्द्र यादव।

गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार–

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. सगीर पुत्र जुम्मन निवासी अलावल देवारिया थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।
02. मेराज पुत्र जलाल निवासी अलावल देवारिया थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–135/19 धारा 3(1)गैंगेस्टर एक्ट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

संक्षिप्त विवरण–

थाना धानेपुर पुलिस द्वारा आज दिनांक 26.03.2019 को मुखबिर की सूचना पर गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्तों को बग्गीरोड नहर पुलिया से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. थानाध्यक्ष अतुल चतुर्वेदी।
02. उ0नि0 सर्वजीत गुप्ता।
03. हेड का0 विनोद पाण्डेय।
04. हेड का0 राजेन्द्र यादव।
05. का0 प्रवीण पाण्डेय।

सराहनीय प्रेस नोट मीडिया सेल जनपद गोण्डा दिनांक 26.03.2019

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार–

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. शाहिद पुत्र शाबिर निवासी अलावल देवारिया थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 140 अल्फ्रासेफ टेबलेट नाजायज बरामद।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–249/19 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 25.03.2019 को उ0नि0 आशीष कुमार मय हमराह के साथ रात्रि गश्त में रवाना थे कि मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ (टेबलेट) के साथ दुखहरण नाथ मंदिर के पास खड़ा है। इस सूचना पर उ0नि0 आशीष कुमार मय हमराह फोर्स के साथ उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 140 अल्फ्रासेफ टेबलेट बरामद कर अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 नगर में एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता–

01. उ0नि0 आशीष कुमार।

जुआ खेलते 03 अभियुक्त गिरफ्तार–

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. राममूरत सिंह उर्फ ककू पुत्र गुल्ले सिंह निवासी गंगवल बाजार थाना विशेश्वरगंज जनपद बहराइच।
02. पन्नालाल तिवारी पुत्र रामदिवाकर निवासी रिखईपुरवा मौजा सरैया थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
03. संजय कुमार पुत्र बाबादीन निवासी कोटबाजार थाना पयागपुर जनपद बहराइच।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0– 80/19 धारा 13 जुआ अधिनियम थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 52 तास के पत्ते।
02. 1610 रूपया नगद।

संक्षिप्त विवरण–

प्रभारी निरीक्षक कटराबाजार ने बताया कि दिनांक 25.03.2019 को सायः 17:25 बजे मुखबीर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ व्यक्ति खिन्दौरा गॉव के पास सड़क के किनारे बाग पर जुआ खेल रहे है। इस सूचना पर उ0नि0 सत्यनरायण यादव मय हमराह फोर्स के साथ खिन्दौरा गॉव के किनारे बाग पर पहुॅचकर उक्त अभियुक्तगणों को घेराबन्दी करके गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्तगणों के कब्जे से 52 ताश के पत्ते व 1610 रूपये बरामद कर थाना कटराबाजार पर 13 जुआ एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया हैं।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 सत्य नरायण यादव।
02. हेड का0 जगदीश राय।
03. का0 करन यादव।
04. का0 संजय कुमार।

सराहनीय प्रेस नोट मीडिया सेल जनपद गोण्डा दिनांक 26.03.2019

थाना परसपुर द्वारा अवैध असलहा व चोरी की बाइक के साथ 02 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार–

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. भगौती पाण्डेय पुत्र किशोरी लाल पाण्डेय निवासी पोर्टलगंज थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
02. तिलक राम मिश्रा पुत्र सीता राम मिश्रा निवासी बेहड़ा चौबे थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–87/19 धारा 379.411 भादवि थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0–88/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

अनावरित अभियोग–

01. मु0अ0सं0–47/19 धारा 380 भादवि थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0–143/19 धारा 457.380 भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 10,000 नगद रूपये।
02. 01 अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।
03. 01 अदद पल्सर बाइक बिना नं0 की।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 25.03.2019 को वादी श्रीकृष्ण गोपाल शुक्ला पुत्र राघवराम शुक्ला निवासी पूरे शुक्ल चराहुआ थाना परसपुर जनपद गोण्डा की सीमेन्ट की दुकान से अज्ञात अभियुक्तों द्वारा सीमेन्ट देखने के बहाने उनके काउण्टर में रखे 10,000 रू0 लेकर फरार हो गये थे। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना परसपुर में अज्ञात अभियुक्तों के विरूद्ध चोरी का अभियोग पंजीकृत कराया था। जिसमें परसपुर थानाध्यक्ष बृजानन्द सिंह के द्वारा कड़ी मेहनत के दौरान प्रकाश में आये चोरो को आज दिनांक 26.03.2019 को मुखबिर की सूचना पर भौरीगंज मोड़ से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 10,000 नगद रूपये, 01 अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व घटना में प्रयुक्त 01 अदद पल्सर बाइक बिना नं0 की बरामद की गयी। अभियुक्तगणों द्वारा पूछताछ के दौरान कई चोरी की घटनाओं को अंजाम देने की बात स्वीकार की गयी है।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. थानाध्यक्ष परसपुर बृजानन्द सिंह।
02. उ0नि0 इसरत हुसैन।
03. हेड का0 रामकुमार सिंह।
04. का0 संदीप यादव।
05. का0 भूपेन्द्र कुमार।